अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/225 अपील/अजमेर/2023/225

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/168 श्री अरविंद शर्मा श्री उदयशर्मा ...	

श्रीमती ग्यारसी बनाम उदयशर्मा (2023/168)

6/6/23 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्रो पर पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाशक केवियटकर्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण पोषनीय नहीं हो ने से प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 05.06.2023 को सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपीलार्थी को उक्त निर्णय दिनांक 28.03.2018 की कभी भी जानकारी नहीं रही है, अपीलांट को दिनांक 17.05.2023 को जानकारी हो गयी थी लेकिन कोविड़ व लॉकडाउन के कारण अपील बरवक्त पेश नहीं की जा सकी थी कोविड के पश्चात जानकारी होने पर अब उक्त अपील नकल प्राप्त कर अब अविलम्ब अपील समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है वह अपीलार्थी द्वारा से जानबूझकर नहीं हुआ है, अपितु उपरोक्त कारण से हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को कण्डोन किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को कण्डोन किया जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक केवियटकर्ता(रेस्पोडेन्ट संख्या 01) ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया किं प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो बहुत विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा जिसके संतोषजनक कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र में संतोषजनक नहीं होने के कारण खारिज किया जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन धारा 5 मियाद अधिनियम पर मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 आर.बी.जे. पेज 623 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मियाद के तकनीकी आधार पर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता हैं एवं मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत होता है तो उसे केवल मियाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तो के आधार पर अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिनांक 28.03.2018 को पारित किया है उसमें आगामी आदेश तक स्थगन जारी किये गये है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नही है बल्कि अपीलांट संख्या 01 की पिता की आराजीयात है जो विरासत से हमे प्रापत हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर अपीलांट के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है तथा अपीलांट संख्या 01 जो कि सीनियर सिटीजन है उसे

राजस्व अपील प्राधिकारी

लगातार

168/2023/225 अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख	2023/168	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री अरविन्द शर्मा	श्री

राजकीय सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने कोई स्पष्ट निष्कर्ष व्यक्त नहीं किए है वरन् यह अंकित करते हुए न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2018 की क्रियान्विति स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक केवियटकर्ता (रेस्पोडेन्ट संख्या 01) ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी वाकै ग्राम दूदू तहसील दूदू बाबत् प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न स्व्यं करे, न अन्य स करावें, न कब्जे से बेदखल करें, न ऋण प्राप्त करें, न ही विवादित आराजीयात की रहन, बेय, मुन्तकिल करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है । उक्त आदेश से अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं हो रही है तथा यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जाता है तो अपीलांट विवादित आराजी का बेचान कर देगा तो रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति कारित होगी और जिससे विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है । अपीलांट को उक्त आदेश से आपत्ति होती तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत् कार्यवाही करें। अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2018 को आदेश पारित किये गये उसमें विवादित आराजी वाकै ग्राम दूदू तहसील दूदू बाबत् प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न स्व्यं करे, न अन्य स करावें, न कब्जे से बेदखल करें, न ऋण प्राप्त करें, न ही विवादित आराजीयात को रहन, बेय, मुन्तकिल करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है। अप्रार्थी/अपीलांट ने उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अप्रार्थी/अपीलांट को अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 जा.दी. के तहत् कार्यवाही करना चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचाराधीन रहते विवादित आराजी बाबत् जो आदेश पारित किये है, जो विधि सम्मत है, अप्रार्थी/अपीलांट को उक्त आदेश से कोई आपत्ति है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखतें।अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध है चुंकि प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। अधीनस्थ न्यायालय को भी चाहिए था कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अन्तरिम स्थगन आदेश से पाबंद गया है तथा प्रकरण उनके समक्ष 3 वर्षो से विचाराधीन है तो उनको प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट से रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस लेकर प्रकरण को शीघ्र से शीघ्र आदेश 39 नियम 3 क सी.पी.सी. के तहत् निस्तारण करना चाहिए था जो

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/225 ग्यारसी देवी वि/स उपेन्द्र शर्मा

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
2023/168 श्री अरविन्द शर्मा	श्री बी.एल.शर्मा-2 / रेस्पॉन्डेंट्स 1,2	

उनके द्वारा नहीं किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी/अपीलांट को हो रही है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं कि अपीलांटस/अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें एवं प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 को भी पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में 15 दिवस चार तारीख पेशी दी जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तथा अपीलांटस/अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें एवं अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01,2 को पाबंद करें कि वे प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में 15 दिवस चार तारीख पेशी दी जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। अपीलांटस/प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.06.2023 को उपस्थित होवें। उक्त अपील का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण पोषनीय नहीं हो ने से प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने सारहीन हो चुका है, इसलिए खारिज किया जाता हैं । आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner